

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना अहरौला

एक अदद देशी अवैध कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के कुशल निर्देशन में आज दि० 2-1-2021 को चौकी प्रभारी माहुल शैलेश कुमार यादव मय हमराही कस्बा माहुल मे आपस में मिलकर बातचीत कर रहे थे कि मुखवीर खास ने आकर सूचना दिया की एक व्यक्ति आई०टी०आई० कालेज समसल्लीपुर के पास नजायज असलहा लेकर घूम रहा है इस सूचना पर विश्वास कर चौकी प्रभारी मय हमराहीयान व मुखवीर खास को साथ लेकर आई०टी०आई० कालेज समसल्लीपुर के थोडे करीब पहुँचे कि एक व्यक्ति आई०टी०आई० कालेज के पास अकेले घूम रहा था मुखवीर खास उसके तरफ इशारा करके वहा से हट बढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा चारो तरफ से घेरकर उस व्यक्ति के तरफ बढ़े कि पुलिस टीम को देखकर वह व्यक्ति आई०टी०आई० कालेज की तरफ भागने लगा कि पुलिस टीम द्वारा करीब 60-70 कदम दूर जाते-2 भाग रहे व्यक्ति को पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम मनोज कुमार S/O स्व० प्रेमचन्द R/O चकब्रहमनी थाना अहरौला जिला आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से एक अदद देशी अवैध कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पकडे गये व्यक्ति का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/25 AAct का दण्डनीय अपराध है पकडे गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 9.10 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- मनोज कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र सा० चकब्रहमनी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी-

1-एक अदद देशी अवैध कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 001/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 शैलेश कुमार यादव (चौकी प्रभारी माहुल)
- 2- हे0का0 भवानीशंकर शर्मा
- 3- का0 समेरिका यादव
- 4-का0 आशीष कुमार यादव

थाना जहानागंज

एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.09.2020 को जहानागंज थाना क्षेत्र के वादी की पुत्री उम्र 15 वर्ष को अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने व धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/20 धारा 363 ,366,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम सन्तोष पुत्र बुधई राजभर सा0 करनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 02.01.2020 को **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में मु0अ0सं0 210/20 धारा 363.366.506.376.120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त सन्तोष कुमार राजभर पुत्र दुधनाथ राजभर उर्फ दुधई सा 0 करनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को इटौरा मोड़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से धारा 376.120बी भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 210/20 धारा 363.366.506.376.120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त:-

सन्तोष कुमार राजभर पुत्र दुधनाथ राजभर उर्फ दुधई सा0 करनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 विजय प्रताप सिंह
- 2- हे0का0 अवधेश प्रसाद

3- का0 दिलराज सिंह

थाना सिधारी

चोरी के माल का खरीद फरोक्त करते हुए 03 नफर अभि0 गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित , इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में प्रभारी के नेतृत्व में दिनांक 01.01.2021 को SI वंशराज सिंह मय हमराही के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे एवं संदिग्ध व्यक्ति अवैध वाहन की चेकिंग में रेलवे स्टेशन तिराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि पहलवान तिराहे पर तीन व्यक्ति एक ठेले पर कहीं से लोहे की सरिया व ढलाई का प्लेट चोरी करके लाए हैं और वही पर खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके मय हमराही कर्मचारी के साथ एक-दूसरे को मकसद से अवगत कराते हुए मुखबिर के साथ पहलवान तिराहे से कुछ पहले पहुँचे तो मुखबिर द्वारा धीरे से इशारा करके बताया कि वही तीनों व्यक्ति हैं , जो ठेले के पास खड़े हैं। मुखबिर वहाँ से हट बढ़ गया पुलिस टीम एका-एक ठेले के पास पहुँच गई कि पुलिस टीम को देखकर तीनों व्यक्ति शकपका गए एक दूसरे को देखने लगे तीनों व्यक्तियों को ठेले पर रखे सरिया प्लेट सहित पकड़ लिया गया। तीनों व्यक्तियों का क्रमशः नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम सनी कुमार कुम्हार पुत्र राजेश नि 0 ग्राम हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कपिल मौर्य पुत्र वीरेन्द्र मौर्य नि0 ग्राम चकगोरया कांशीराम आवास थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम राजबहादुर सिंह पुत्र चन्द्रप्रकाश सिंह नि0 ग्राम गन्धुई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताए तीनों की बारी-2 से जामा तलाशी ली गई तो सरिया प्लेट एवं ठेले के अलावा कुछ बरामद नहीं हुआ। अभियुक्तगण का यह कार्य धारा 411/414 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर समय 14.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण - अभि0गण द्वारा ठेले पर रखे सरिया एवं प्लेट के सम्बंध में पूछा गया तो सनी कुमार एवं कपिल मौर्य ने बताया कि यह लोहे की सरिया एवं प्लेट हम दोनों चोरी किए हैं और राजबहादुर सिंह जिनकी धर्म काटा के सामने कबाड़ की दुकान है खरीदने के लिए आए हैं। इसके पहले भी हम दोनों इनको सरिया बेचे हैं। पूछा गया कि सरिया एवं प्लेट कहाँ से चुराये हैं तो बताए कि पहलवान तिराहा के आगे रामा अस्पताल के बगल से चुराये हैं जहाँ पर एक मकान बन रहा है

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. सनी कुमार कुम्हार पुत्र राजेश नि0 ग्राम हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. कपिल मौर्य पुत्र वीरेन्द्र मौर्य नि0 ग्राम चकगोरया कांशीराम आवास थाना सिधारी
3. राजबहादुर सिंह पुत्र चन्द्रप्रकाश सिंह नि0 ग्राम गन्धुई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

30 अदद सरिया (लोहे का, 06 अदद प्लेट (6 साईका) व एक अदद ठेला

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 01/2021 धारा 411/414 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 वंशराज सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3. हे0का0 सतेन्द्र सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
4. हे0का0 राकेश मिश्रा थाना सिधारी आजमगढ़
5. का0 जितेन्द्र सोनकर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

